ऑन लाईन नं.GCMS2025/16

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2025

श्री हंसराज गोदारा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।?

वनाम

1. श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा
मैसर्स :– सेल्स कार्पोरेशन, बी/36, सेक्टर–17 मार्केट, 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर। –(विक्रेता)–

2. सोनम पत्नी श्री राहुल मिढ्ढा
मैसर्स :– सेल्स कार्पोरेशन, बी/36, सेक्टर–17 मार्केट, 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर। –(मालिक)–

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

:: निर्णय :: दिनांक : 30.05.2025

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.07.2024 को दोपहर बाद 1.20 पी.एम को **मैसर्स सेल्स कार्पोरेशन, बी/36, सेक्टर–17 मार्केट, 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर** पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विक्रेता)** , को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान पर रखे 500–500 एम.एल. एक कार्टुन में 30 नग (15 लीटर) व 1 लीटर के 2 कार्टुन में 30 नग (30 लीटर) कुल 45 लीटर जार पैक खाद्य पदार्थ **गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का **(विक्रेता)** होना बताया तथा संस्थान की स्टोर पर रखे 500–500 एम.एल. एक कार्टुन में 30 नग (15 लीटर) व 1 लीटर के 2 कार्टुन में 30 नग (30 लीटर) कुल 45 लीटर जार पैक खाद्य **पदार्थ गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड) को आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। इसी **गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड) का** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 6 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

अति0 जिला कलेक्टर (प्रशा...
श्रीगंगानगर (...

ऑन लाईन नं.GCMS2025/16

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड)** 500–500 एम.एल. एक कार्टुन में 30 नग (15 लीटर) व 1 लीटर के 2 कार्टुन में 30 नग (30 लीटर) कुल 45 लीटर जार पैक में से 4 मूल जार पैक (500 ml x 4=2000 ml) को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 680/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गांय का घी (अनुपम ब्राण्ड)** 4 मूल जार पैंक (500 ml x 4=2000 ml) पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2393** दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2393** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील वन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील वन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र कमांक /एफएसएसए/2024/820–22 दिनांक 13.08.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया

अति० जिला कलैक्टर (प्रशा...
श्रीगंगानगर (राज.)

गया। नमूना खाद्यकारोबारकर्ता द्वारा पुनः रेफरेल लैब से जांच करवाने का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 993–994 दिनांक 26.09.2024 को नमूना जांच हेतू रेफरल लैब मैसूर भेजा गया।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/868/एक्ट/2024/868 दिनांक 24.07.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2393 **Unsafe Food & Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुनः जांच हेतु नमूना कमांक के–2393 से प्रकरण रेफरल फूड लैबोरेट्री सी.एस.आई., आर.सी.टी. आर.आई. मैसूर पत्र कमांक को 993–994 दिनांक 26.09.2024 से नमूना जांच भेजी। रेफरल फूड लैबोरेट्री सी.एस.आई., आर.सी.टी. आर.आई. मैसूर द्वारा जारी रिपोर्ट कमांक **FT/AQCL/FSSA (1231F)/2024** दिनांक 28.11.2024 में अभियुक्त **श्री राहुल सिद्धा पुत्र श्री राजेन्द्र सिद्धा (विकेता) मैसर्स सेल्स कार्पोरेशन, बी/36, सेक्टर–17 मार्केट, 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर** द्वारा **Sub-standard Food, Cow Ghee** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 30.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि आवेदन पत्र की मद सख्या 1 के तथ्य जानकारी व प्रमाण के अभाव मे अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है। उक्त मद में अंकितकथन नोटिफिकेशन को आवेदक साक्ष्य व प्रमाण से सावित करें।
2. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 2 के तथ्य जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है। उक्त मद में अंकितकथन नोटिफिकेशन को आवेदक साक्ष्य व प्रमाण से सावित करें।
3. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 3 के वाक्यांत आंशिक स्वीकार है। उक्त नमूनीकरण का कार्य एफएसओ द्वारा विधिनुसार नहीं किया गया है।
4. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 4 के कथन आंशिक स्वीकार है। उक्त मद के अनुसार केशमीमों बनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर होना बताया गया है जबकि उक्त कैशमीमों स्वयं एफबीओ ने विभाग द्वारा वनाये गये प्रारूप पर बनाया गया था। मिन एफबीओ से मेरी फर्म का मुद्रित/प्रिंट कैशमीमों नहीं लिया गया है जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त वाद मिन जबावदाता से लिये गये सैम्पल के विरूद्व नहीं है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है।
5. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 5 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है।
6. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 6 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। आवेदक एफएसओ द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना संख्या के–2393 मिन जवाबदाता के परिसर से गांय का घी अनुपा ब्राण्ड का नमूना लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/बर्तन नमूना लिया गया के तथ्य

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अंकित नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक एफएसओ द्वारा उक्त नमूनीकरण का कार्य एफएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है इस आधार पर भी उक्त वाद निरस्तणीय है।

7. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 7 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फर्द रिपोर्ट आवेदक एफएसओ द्वारा भरा गया था जिस पर मिन जवाबदाता सहित गवाह एवं एफएसओ के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा सलंग्न परिवाद पेश किया गया है।
8. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 8 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
9. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 9 के तथ्य स्वीकार है।
10. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
11. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 11 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
12. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 12 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
13. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 13 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
14. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 14 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लघंन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है। अप्रार्थी एफवीओ एफएसए की धारा 31 की उप धारा 2 की श्रेणी का कारोबारकर्ता है। जिसकी शास्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त कथन :–

1. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।
2. यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एकरूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ द्वारा नमूना संख्या के–2393 लेते समय एफएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।
3. यह कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता, पैंकिगकर्ता एवं विक्रेता कम्पनी उत्तरदायी है, जबकि उक्त खाद्य पदार्थ में पाये गये दोष निर्माता से सम्बन्धित होने के कारण इस कृतय के लिए विधिनुसार निर्माता एवं पैकिंगकर्ता ही दोषी माना जाना न्यायेचित होने के कारण उक्त के निर्माता का उक्त वाद में पक्षकार है। अतः उक्त दोष हेतु निर्माता एवं पैंकिंगकर्ता को दोषी करार दिया जाना न्यायोचित है।
4. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ व जन विश्लेषक को गवाही के उदेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर (राज.)

में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है। अप्रार्थी एफबीओ एफएसए की धारा 31 की उप धारा 2 की श्रेणी का कारोबारकर्ता है। जिसकी शास्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नहीं की जा सकती है। उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्व तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खादय नमूना सख्या के–2393 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खादय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी का वाद का निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Ghee(ANUPA BRAND)" bearing Code No and Sr. No. K-2393, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as defined under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act2006 as it does not conform to the Standards laid down for Ghee under the provisions of Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulaltion 2011 and Food Safety & Standards (Prohibitions & Restriction on Sales) Regulation 2011 there of ,in that.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विकेता)** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विकेता)** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **श्री राहुल मिढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र मिढ्ढा (विकेता)** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलेक्टर